महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: सामान्य/3/2007/ 11454 – 500 दिनांक : 31-5-2019

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
अधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह,
जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।

परिपत्र

विषय: सिविल अपील संख्या 3086/2016 राजस्थान स्टेट बनाम मुकेश शर्मा व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2019 के संबंध में।

डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2421/07 मुकेश शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा दिनांक 23.01.08 को निर्णय पारित किया जाकर दी राजस्थान प्रिजनर्स (शार्टनिंग एवं सेन्टेन्सेज) नियम, 2006 के नियम 8 (2)(1) में 4 वर्ष की अर्जित परिहार की शर्त को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक सामान्य/3/2007/87847-82 दिनांक 24.01.2008 एवं क्रमांक सामान्य/3/2007/91251-325 दिनांक 23.02.2008 जारी किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अग्रिम आदेशों तक समयपूर्व रिहाई के प्रकरण निर्धारित अवधि में सलाहकार मण्डल के समक्ष रखे जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.01.2008 के विरूद्ध माननीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 3086/2016 राजस्थान स्टेट बनाम मुकेश शर्मा, 3092/2016 राजस्थान स्टेट नाम गुरूबक्ष सिंह, 3087/2016 राजस्थान स्टेट बनाम बीरबल राम, 3088/2016 राजस्थान स्टेट बनाम बीरबल महरिया, 3090/2016, राजस्थान स्टेट बनाम तेजसिंह, 3093/2016 राजस्थान स्टेट बनाम रामवतार खटीक, 3094/2016 राजस्थान स्टेट बनाम रामरतन एवं अन्य एवं 3095/2016 राजस्थान स्टेट बनाम अर्जुन प्रस्तुत की गई, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 22.04.2019 को पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2421/07 मुकेश शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2008 को निरस्त किया है तथा दी राजस्थान प्रिजनर्स (शार्टनिंग एवं सेन्टेन्सेज) नियम, 2006 के नियम 8 (2)(1) को वैधानिक माना है।

अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2019 की पालना में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सामान्य/3/2007/87847-82 दिनांक 24.01.2008 एवं 91251-325 दिनांक 23.02.2008 को निरस्त जाकर निर्देशित किया जाता है कि समय पूर्व रिहाई के प्रकरण निर्धारित अवधि में

दी राजस्थान प्रिजनर्स (शार्टनिंग एवं सेन्टेन्सेज) नियम, 2006 के नियम 8 (2)(1) के अनुसार ही सलाहकार मण्डल के समक्ष रखे जावे।

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 9386-87 दिनांक 21.05.2019 के संदर्भ में।
4. प्रभारी, बंदी शाखा, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
5. प्रभारी, कम्प्युटर सैल, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को वास्ते अपलोड हेतु।

महानिरीक्षक कारागार,
राजस्थान, जयपुर